हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 अगस्त, 2015

संख्या 20/एस0टी01/ह0अ0 6/2003/धा0 60/2015.– चूंकि राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है;

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप–धारा (1) के साथ पठित उक्त, उप–धारा के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं ।
   (2) ये नियम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिसे इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 47 में, उप–नियम (1) में, विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"सारणी

क्रम संख्या	भट्ठे की क्षमता	प्रवर्ग	कर के बदले में भुगतानयोग्य एकमुश्त राशि
1	2	3	4
1.	33 संख्या की घोड़ी से अधिक क्षमता वाला ईंट भट्ठा	+क	4,01,856/– रुपये जमा 33 घोड़ी से ऊपर 13,995/– रूपये प्रति अतिरिक्त घोड़ी।
2.	28 से 33 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	क	4,01,856/– रूपये।
3	22 से 27 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	ख	3,13,950/– रूपये।
4.	22 संख्या से कम घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	ग	2,50,900/– रूपये।
5.	30 सितम्बर, को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान न जलाया गया ईंट भट्ठा, जिसमें पिछले वर्ष के प्रथम अक्तूबर, को भट्ठे के अन्दर तथा बाहर सभी प्रवर्गों की ईंटों का स्टॉक पांच लाख से अधिक न हो।	घ	62,700/– रूपये।

टिप्पण :– यदि कोई भट्ठा दो स्थानों पर जलाए जाने वाले आकार का है, तो ऐसे भट्ठे के मालिक द्वारा भुगतानयोग्य एकमुश्त राशि की दर उपरोक्त दरों से दुगनी होगी।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 51 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई प्लाई बोर्ड विनिर्मिता उप–नियम (6) में दी गई रीति मे विकल्प का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित दर (रों) पर उसके द्वारा विनिर्मित प्लाई बोर्ड तथा उससे उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट उत्पादों के विक्रय पर अधिनियम के अधीन उसके द्वारा भुगतानयोग्य कर के बदले में एकमुश्त राशि का भुगतान का प्रस्ताव किसी भी समय दे सकता है–

सारणी

क्रम संख्या	प्रैस का साइज	प्रति वर्ष प्रति प्रैस एकमुश्त राशि की दर
1.	8' x 4' x 10	11,70,000/– रूपये।
2.	8' x 4' x 7	8,19,000/– रूपये।
3.	6' x 4' x 10	8,78,000/– रूपये।
4.	6' x 4' x 7	6,15,000/– रूपये।
5.	4' x 4' x 10	4,17,000/– रूपये।
6.	4' x 4' x 7	2,93,000/– रूपये।

जहां 8’ x 4’ x 10 प्रैस एक ही बार में 10 प्लाईबोर्ड़, प्रत्येक 8 फुट x 4 फुट अर्थात 320 वर्ग फुट, बनाने के लिए परिकल्पित है तथा अन्य आकारों को प्रैसिज उसी प्रकार के अनुपात में प्लाईबोर्ड बनाने के लिए परिकल्पित हैः

परन्तु किसी अन्य आकार की प्रैस जो ऊपर सारणीबद्ध नहीं की गई है, के सम्बन्ध में एकमुश्त राशि की वार्षिक दर, यदि प्रैस 4’ x 4’ अर्थात् 16 वर्ग फुट प्रति नग से अनधिक आकार के प्लाईबोर्ड बनाने के लिए परिकल्पित की जाती है, तो 2611.61 रूपये प्रति वर्ग फुट की दर पर संगणित की जाएगी, अन्यथा 3656.25 रूपये प्रति वर्ग फुट की दर पर, प्रत्येक मामले में एक हजार के निकटतम पूर्णांकित, की जायेगीः

परन्तु यह और कि वैसी या उससे छोटी आकार की किसी अतिरिक्त प्रैस के लिए एकमुश्त राशि उपरोक्त सारणीबद्ध पूरी दर के आधे पर संगणित की जाएगी।”।

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 19th August, 2015

No. 20/ST-1/H.A.6/2003/S.60/2015. - Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 read with the proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 by dispensing with the condition of previous notice, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force with immediate effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 (hereinafter called the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), for existing table, the following table shall be substituted, namely:-

"Table

Serial Number	**Capacity of Kiln**	**Category**	**Lump sum amount payable in lieu of tax**
1.	Brick kiln of capacity of more than 33 number of Ghori	+ A	Rs.4,01,856/- plus Rs.13,995/- per additional Ghori above 33 Ghori
2.	Brick kiln of capacity of 28 to 33 number of Ghori	A	Rs. 4,01,856/-
3.	Brick kiln of capacity of 22 to 27 number of Ghori	B	Rs. 3,13,950/-
4.	Brick kiln of capacity of below 22 number of Ghori	C	Rs. 2,50,900/-
5.	Brick kiln not fired during the year ending 30th September in which stock in and outside the kiln as on 1st October of last year, did not exceed five lakh bricks of all categories.	D	Rs. 62,700/-

Note :-If a kiln is designed to be fired at two places, the rate of lump sum payable by the owner of such kiln shall be double of the aforesaid rates.".

3. In the said rules, in rule 51, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the other provisions of this rule, a ply-board manufacturer may, by exercising option in the manner given in sub-rule (6), at any time offer to make payment of lump sum in lieu of tax payable by him under the Act on sale of ply-board manufactured by him and waste products arising therefrom, at the rate(s) mentioned below-

Table

Serial Number	Press size	Rate of lump sum per press per annum
1.	8' x 4'x 10	Rs.11,70,000/-

2.	8’ x 4’ x 7	Rs.8,19,000/-
3.	6’ x 4’ x 10	Rs.8,78,000/-
4.	6’ x 4’ x 7	Rs.6,15,000/-
5.	4’ x 4’ x 10	Rs.4,17,000/-
6.	4’ x 4’ x 7	Rs.2,93,000/-

Where an 8’x4’x10 press is designed to make 10 number ply-boards each measuring 8 feet by 4 feet i.e. 320 square feet ply-board in single operation and presses other sizes are designed to make ply-board in the same proportion:

Provided that annual rate of lump sum in respect of press of any other size not tabulated above shall, if the press is designed to make ply-boards of size not exceeding 4’x4’ i.e. 16 square feet per piece be computed @ Rs.2611.61 per square feet else @Rs.3656.25 per square feet, rounded off to nearest thousand in each case:

Provided further that lump sum for any additional press of the same or lower size shall be computed at one-half of the full rate tabulated above.”.

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.